

IRDAI (ट्रेड क्रेडिट इश्योरेंस) दशा-नरिदेश, 2021

प्रलिस के लयः

फैक्टरगऱ वनऱयऱमन, ट्रेड क्रेडऱटऱ इश्योरेंस, एमएसएमई

मेन्स के लयः

ट्रेड क्रेडऱटऱ इश्योरेंस का कवरेज एवं लाभ

चर्चा में क्यों?

हाल ही में [भारतीय बीमा नऱयऱमक और वकऱस प्रऱधकऱरण](#) (IRDAI) ने वऱयापऱर ःरण बीमा (Trade Credit Insurance) के लयऱ संशोधतऱ दशा-नरऱदेश जऱरी कयऱ है ।

प्रमुख बऱदऱ

■ वऱयापऱर ःरण बीमा :

○ परचऱयः

- वऱयापऱर ःरण बीमा वऱयवसऱयों को वसतुओं और सेवऱओं के गऱर-भुगतऱन के जोखमऱ से बचातऱ है ।
- यह ऱमतौर पर खरीदारों के एक पोर्टफोलऱयों को कवर करतऱ है तथऱ एक चऱलऱन यऱ कई चऱलऱनों के सहमतऱ प्रतशऱत की कषतऱप्रूरतऱ करतऱ है जसै लंबे सऱमय तक डफऱॉल्ट यऱ दवऱलऱ/दवऱलऱयऱपन के परणऱमस्वरूप धन संशऱधतऱ नही कयऱ गयऱ हो ।
- यह वऱयापऱर को सुवधऱजनक बनाकर कसऱी देश के ऱर्थकऱ वकऱस में यऱगदऱन देतऱ है और भुगतऱन जोखमऱों के कारण होने वऱले वऱयापऱर घऱटे का सऱमऱधऱन कर ऱर्थकऱ स्थऱरऱतऱ में सुधऱर लऱने में मदद करतऱ है ।

○ कवरेजः

- यह वसतुओं और सेवऱओं के वकऱरेतऱओं यऱ ऱपूरतऱकरऱतऱओं, फैक्टरगऱ कंपनऱयों (फैक्टरगऱ वनऱयऱमन ऱधनऱयऱम, 2011 में परभऱषतऱ) एवं बैंकों तथऱ वतऱतऱय संसथऱनों को जऱरी कयऱ जऱ सकतऱ है ।
- बैंकों एवं वतऱतऱय संसथऱनों और फैक्टरगऱ कंपनऱयों को खरीदार से भुगतऱन प्रऱप्त न होने के कारण, वऱणजऱयकऱ यऱ रऱजनऱतकऱ जोखमऱों, खरीदे यऱ भुनऱए गऱ बऱलऱों और चऱलऱनों के वरऱदुध होने वऱले नुकसऱन को कवर करतऱ है ।

- वऱणजऱयकऱ जोखमऱों में खरीदार की दवऱलऱ यऱ वसऱतऱरतऱ चूक, ऱनुबंध की शरतों के ऱधीन डलऱवऱरी के बऱद खरीदार दवऱरऱ ऱसवीकृतऱ और शऱपऱमेंट से पहले ऱसवीकृतऱ एवं संग्रहकरऱतऱ बैंक की वफऱलतऱ के कारण भुगतऱन की प्रऱप्तऱन होनऱ शऱमलऱ है ।

- रऱजनऱतकऱ जोखमऱ कवर केवल भारत के बऱहर के खरीदारों के ऱऱमले में ऱपलबध है और इसमें खरीदार के देश तथऱ भारत के बीच युद्ध की घटनऱ एवं शतऱरुतऱ, गृहयुद्ध, वदऱरोह, कऱरऱतऱ, ऱशऱतऱतऱ यऱ खरीदार के देश में ऱन्य गडबडी शऱमलऱ होगी ।

○ प्रयऱोजयतऱ:

- ये दशा-नरऱदेश बीमा ऱधनऱयऱम, 1938 के तहत पंजीकृत सऱमऱन्य बीमा कऱरोबऱर करने वऱले सऱभी बीमऱकरतऱओं पर लऱगू होंगे ।
- हऱलऱँक [ECGC लऱमऱटऱड](#) (पूरव में एक्सपोरट क्रेडऱटऱ गऱरंटी कऱरपोरेशऱन ऱॉफ इंडयऱ लऱमऱटऱड) को इन दशा-नरऱदेशों के ऱवेदन से छूट दी गई है ।

■ उतऱए गऱ कदम के लऱभः

- यह सऱमऱन्य बीमा कंपनऱयों को देश में वऱयवसऱयों के जोखमऱ का प्रबंधन करने, नऱ बऱजऱरों तक पहुँच प्रदऱन करने और वऱयापऱर वतऱतऱपोषण

पोर्टफोलियो से जुड़े गैर-भुगतान जोखिम के प्रबंधन में मदद करेगा।

- यह सामान्य बीमा कंपनियों को इन उद्यमों की उभरती बीमा जोखिम ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSMEs) हेतु व्यवसायों को बेहतर बनाने के लिये अनुकूलति कवर के साथ व्यापार ऋण बीमा की पेशकश करने में सक्षम करेगा।

स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस

PDF Referenece URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/irdai-trade-credit-insurance-guidelines,-2021>

